निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 अग्रहायण 1935 (शo)

(सं0 पटना 892) पटना, मंगलवार, 10 दिसम्बर 2013

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

18 सितम्बर 2013

सं0 1/रा०स्था०(2)न्या०–07/09 सह०–3897—विभागीय अधिसूचना संख्या 1920 दिनांक 13.07.02 द्वारा श्री मुनीश्वर प्रसाद को अपर निबंधक, स०स० के पद पर वेतनमान रू० 14,300–18,300 में दिनांक 01.01.96 से एवं श्री आनन्द मोहन मिश्र को वरीय संयुक्त निबंधक, स०स० के पद पर वेतनमान रू० 14,300–18,300 में दिनांक 01.07.97 से प्रोन्नति दी गयी।

विभागीय अधिसूचना संख्या 426 दिनांक 21.02.2006 के द्वारा किये गये संशोधन के आधार पर दिनांक 01.01.96 को उपलब्ध संयुक्त निबंधक, स०स० एवं समकक्ष पदों की रिक्ति के लिए तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) से कराए गए रोस्टर क्लियरेंश एवं 01.01.96 को चिह्नित आवश्यकता आधारित पदों को एक बार (One Time) वरीयताक्रमानुसार सेवा के सुपर टाईम/वरीय प्रवर कोटि के पदाधिकारियों से समायोजन के पश्चात् तथा आगे की रिक्तियों को भरे जाने हेतु सामान्य प्रोन्नति की प्रक्रिया का पालन करने के वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 1920 दिनांक 13.07.2002 को विभागीय अधिसूचना संख्या 2017 दिनांक 20.05.2008 द्वारा संशोधित किया गया जिसमें श्री मुनीश्वर प्रसाद को दिनांक 01.01.96 के प्रभाव से अपर निबंधक, स०स० वेतनमान रू० 14,300–18,300 के स्थान पर संयुक्त निबंधक, स०स० वेतनमान रू० 12,000–16,500 में प्रतिस्थापित किया गया तथा श्री आनन्द मोहन मिश्र को दिनांक 01.07.97 से वरीय संयुक्त निबंधक, स०स० वेतनमान रू० 14,300–18,300 को विलोपित किया गया। विभागीय अधिसूचना संख्या 2017 दिनांक 20.05.2008 के विरूद्ध मुनीश्वर प्रसाद एवं अन्य द्वारा एक समादेश याचिका संख्या 9902/2009 दायर किया गया था। उक्त समादेश याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 11.08.2011 को पारित न्यायादेश–Keeping in mind the peculiar facts of the case, that there has been no misrepresentation by the petitioners, that the respondents were seeking to reopen and re-reopen matters indicating that the fault lay with them, the Court is satisfied that it shall be highly unequitable for the respondents to visit the petitioners with such consequences in their retired status.

" ….. It is, however, made clear that the said arrears shall not be recovered from those of the employees who have already retired from service."

Before the respondents called upon the petitioners and propose to visit them with adverse consequences, there is an urgent need for them to do some self introspection first and call into question the acts of those who have created this awkward situation for the respondents to reopen and re-reopen matters generating litigations.

The impugned order dated 20.05.2008 is set aside. Any recovery made is directed to be refunded within a maximum period of two months from the date of receipt/production of a copy of this order…."

उक्त न्यायादेश के अनुपालन में वित्त विभाग के परामर्शानुसार श्री मुनीश्वर प्रसाद, सेवानिवृत्त अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ के लिए दिनांक 01.01.96 से दिनांक 30.06.97 तक वेतनमान रु॰ 14,300–18,300 में अपर निबंधक, स॰स॰ तथा श्री आनन्द मोहन मिश्र, सेवानिवृत्त वरीय संयुक्त निबंधक, स॰स॰ के लिए दिनांक 01.07.97 से दिनांक 31.07.97 तक वेतनमान रू॰ 14,300–18,300 में वरीय संयुक्त निबंधक, स॰स॰ का क्रमशः एक–एक अधिसंख्य पद सृजन की कार्रवाई की गयी। प्रशासी पदवर्ग समिति द्वारा दिनांक 28.06.2013 की बैठक में उक्त अधिसंख्य पद सृजन की स्वीकृति दी गयी। तत्पश्चात उक्त अधिसंख्य पद सृजन की स्वीकृति एवं सृजित पद के विरूद्ध प्रोन्नति देने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की बैठक में दिनांक 10.09.2013 के मद संख्या–12 द्वारा स्वीकृति दी गयी है। उक्त के आलोक में विभागीय राज्यादेश ज्ञापांक 273 दिनांक 17.09.13 द्वारा अधिसंख्य पद सृजन संबंधी राज्यादेश निर्गत है।

उपर्युक्त आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 2017 दिनांक 20.05.2008 को रदद् करते हुए श्री मुनीश्वर प्रसाद, सेवानिवृत्त अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ को दिनांक 01.01.96 से दिनांक 30.06.97 तक वेतनमान रु॰ 14,300–18,300 में अपर निबंधक, स॰स॰ तथा श्री आनन्द मोहन मिश्र, सेवानिवृत वरीय संयुक्त निबंधक, स॰स॰ को दिनांक 01.07.97 से दिनांक 31.07.97 तक वेतनमान रू॰ 14,300–18,300 में वरीय संयुक्त निबंधक, स॰स॰ के उक्त सृजित अधिसंख्य पद के विरूद्ध प्रोन्नति दी जाती है।

श्री मुनीश्वर प्रसाद के लिए अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ का वेतनमान रु॰ 14,300–18,300 में दिनांक 01.01.96 से दिनांक 30.06.97 तक तथा श्री आनन्द मोहन मिश्र के लिए वरीय संयुक्त निबंधक, स॰स॰ का वेतनमान रु॰ 14,300–18,300 में दिनांक 01.07.97 से दिनांक 31.07.97 तक क्रमशः एक–एक अधिसंख्य पद सृजन के प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मधुरानी ठाकुर,
सरकार के उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 892-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in